प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2019

विषय- जनपद आगरा में हेलीपैड के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8397/आगरा हेलीपोर्ट/2019 दिनांक 27 मार्च 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद आगरा में हेलीपैड के निर्माण हेतु सचिव आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 1165/डी/एलएसी/19 दिनांक 31 जनवरी 2019** के क्रम में खसरा संख्या-615 रकबा 0.4288 हे0 मौजा-एत्मादपुर मदरा तहसील व जिला आगरा विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि **को क्रय किये जाने हेतु** रू0 94,33,000.00 (रूपये चौरान्नवे लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-30-ताज ओरिएंटेशन सेन्टर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटक औसंरचना-103-पर्यटक परिवहन-03-पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकाप्टर सेवा का संचालन-30-निवेश/ऋण में उपलब्ध कराते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2018 बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा तथा अप्रयुक्त अथवा अवशेष धनराशि को दिनांक 31 मार्च 2018 के पूर्व शासन को अनिवार्यरूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन महानिदेशक पर्यटन/पर्यटन निदेशालय के वित्त नियंत्रक/सम्बन्धित अधिकारी एवं उपाध्यक्ष/सचिव आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(12) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति सचिव आगरा विकास प्राधिकरण एवं महानिदेशक] पर्यटन पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि उक्त सूचना/विवरण में कोई विसंगति या त्रुटि पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व सम्बन्धित का होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-866/दस-2019 दिनांक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 (धनराशि रूपये लाख मे)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यणय-80-सामान्यण-104-संवर्धन तथा प्रचार-30-ताज ओरिएंटेशन सेन्टर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य	300.00	300.00	94.33	94.33	205.67	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटक औसंरचना-103-पर्यटक परिवहन-03-पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकाप्टर सेवा का संचालन-30-निवेश/ऋण	0.01	94.34	94.33	94.33	94.34
योग	300.00	300.00	94.33	94.33	205.67	योग	0.01	94.34	94.33	94.33	94.34

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- आगरा में ताज ओरिएंटेशन सेन्टर का निर्माण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 300.00 लाख का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में न होने के कारण बचत सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नालिखित कारणों से है। पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकाप्टर सेवा का संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अतिरिक्त व्यय होने के कारण है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग

संख्या-आरई0-866/दस-2019 दिनांक 30 मार्च, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-142/2019/1161(1)/41-2019-16 (बजट)/2017 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च 2019

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ आगरा।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- उपाध्यक्ष/सचिव आगरा विकास प्राधिकरण आगरा।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
9. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in